

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड



गेस्ट हाऊस किराये पर लेने हेतु ई-निविदा प्रपत्र

- | |
|---|
| 1. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 05.07.2022 अपराहः 2.00 बजे तक |
| 2. बिड फीस एवं प्रोसेसिंग फीस के डिमाण्ड ड्राफ्ट भौतिक रूप से जमा कराने की दिनांक 05.07.2022 सांय 3.00 बजे तक |
| 3. तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक 05.07.2022 सायं 4.00 बजे तक |

पंत कृषि भवन, तृतीय मंजिल, जनपथ, जयपुर-302005
टेलीफोन नं. : 91-141-2227944, 2227514 ई-मेल rajseedsstore@gmail.com

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पेज.नं.
1.	बोली आमंत्रण सूचना	3-4
भाग-अ		
2.	अनुभाग.1 निविदादाता हेतु दिशा निर्देश	6-9
3.	अनुभाग.2 सामान्य नियम व शर्तें	10
4.	अनुभाग.3 निविदा प्रपत्र	11

4/12



राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, जनपथ – जयपुर
CIN : U75132RJ1978SGC001781, Website- www.rajseeds.org
Phone No. (0141) 5106516

क्रमांक: एफ 3 (गेस्ट हाऊस)/2022-23/9393

दिनांक : 1.7.2022

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा गेस्ट हाऊस किराए पर लेने के लिये भवन मालिकों से अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इस हेतु निम्न पात्रताएं पूर्ण करना आवश्यक है :-


1. भवन जयपुर शहर के सी-स्कीम अथवा सिविल लाईन क्षेत्र में स्थित हो।
2. प्लॉट का न्यूनतम क्षेत्रफल लगभग 3500 से 4500 वर्गफुट हो एवं वास्तुशास्त्र के अनुसार अनुकूल हो तथा न्यूनतम चार शयन कक्ष हो जिनमें आधुनिक टॉयलेट अटैच हो।
3. अनुबंध की अवधि न्यूनतम 17 माह की होगी।

क्र.स.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रूपये)	बिड फीस (रूपये)	प्रोसेसिंग फीस (रूपये)
1	जयपुर शहर में गेस्ट हाऊस हेतु भवन किराए पर लेने हेतु	30 लाख	590/-	590/-

1. यह निविदा राज्य सरकार की ई-निविदा वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। इस निविदा से संबंधित समस्त वांछित जानकारी एवं प्रपत्र इस वेबसाईट, SPP Portal राजस्थान सरकार www.sppp.rajasthan.gov.in, निगम वेबसाईट www.rajseeds.org. एवं राजस्थान सरकार की कृषि पोर्टल www.agriculture.rajasthan.gov.in पर देखे अथवा डाउनलोड किये जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए ई-निविदा प्रपत्र इस वेबसाईट पर दिनांक 05.07.2022 को अपराहः 2.00 बजे तक अपलोड किये जा सकते हैं। निविदा शुल्क हेतु निर्धारित राशि का डिमाण्ड-ड्राफ्ट राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क का डिमाण्ड-ड्राफ्ट MD, RISL, जयपुर के नाम बनवाया जाना अनिवार्य है एवं यह डिमाण्ड-ड्राफ्ट निगम मुख्यालय पर दिनांक 05.07.2022 को सायं 3.00 बजे तक जमा करवाया जाना अनिवार्य है। प्राप्त ई-निविदाओं की तकनीकी निविदा दिनांक 05.07.2022 को सायं 4.00 बजे खोली जावेगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी एवं इस हेतु तिथि एवं समय बाद में निर्धारित की जावेगी।
2. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा, निविदा प्रपत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही भरा जाना अनिवार्य है।
3. निर्धारित निविदा शुल्क एवं ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
4. उक्त ई-निविदा केवल www.eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार की जावेगी।
5. सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. निविदा फीस एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि अनरिफण्डेबल होगी।

7. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार उपापन संस्था का होगा।
8. तकनीकी निविदा में वित्तीय दरें प्रस्तुत करने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
9. इच्छुक निविदादाता निविदा सूचना में दी गई सूचना के आधार पर निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निगम मुख्यालय पर जमा करवा सकते हैं अथवा इच्छुक निविदादाता उक्त समस्त राशि निगम के खाते में ऑनलाईन भी जमा करवा सकते हैं। ऑनलाईन राशि जमा कराने पर जमा कराई गई राशि की रसीद ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल के माध्यम से तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा। ऑनलाईन राशि जमा करवाने के लिए निगम के खाते का विवरण निम्नानुसार है :-

1	संस्था का नाम:-	राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर
2	बैंक का नाम:-	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
3	खाता संख्या :-	51052136667
4	आई.एफ.एस.सी. कोड:-	SBIN0031781
5	ब्रांच का नाम :-	कॉर्मिसियल ब्रांच, जयपुर।


 (जसवंत सिंह)
 प्रबन्ध निदेशक
 DIN 08383856

भाग—अ

अनुभाग-1

निविदादाता हेतु दिशा-निर्देश

1. बोलीदाताओ को सलाह दी जाती है कि बोली प्रकिया मे भाग लेने से पूर्व, राज्य में खरीद प्रकिया हेतु लागू कानून, राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013, जो राज्य प्रोक्यूरमेन्ट पार्टल की वेवसाईड www.sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, को भली भांति पढ़/समझ लिया जावें। किसी भी समय इन अधिनियम एवं नियमो तथा बोली दस्तावेजों के बीच कोई विसंगति पाया जाता है तो, अधिनियम एवं नियम के प्रावधान मान्य होगा।
2. **स्कोप ऑफ बिड :-** उपापन संस्था द्वारा बोली आमंत्रण सूचना में दिये गये कार्य के लिए ई-प्राक्वेरमेंट के माध्यम से ऑन-लाईन बोली (निविदाएं) आमंत्रित की जाती है।
3. **सत्यनिष्ठा संहिता (Code of Intergity) :-** कोई भी व्यक्ति जिसने RTPP अधिनियम की धारा 11 एवं नियम 80 के प्रावधानो के तहत निर्धारण सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन किया है, खरीद प्रकिया में भाग नही ले सकेगा, बोलीदाता को बिड डोक्यूमेन्ट के साथ सलग्न निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट-“अ” में कोड ऑफ इन्ट्रेग्रेटी की पालना करने हेतु घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. **बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन:-** बोलीदाता या संभावित बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लघन करने पर उपापन संस्था द्वारा अधिनियम 2012 की अध्याय IV, धारा 11 (3) और 46 के प्रावधानो के अनुसार बोलीदाता के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
5. **पात्र बोलीदाता (Eligible Bidder) :-**
 - (A) एक बोलीदाता एक व्यक्ति, निजी संस्था, सरकार के स्वामित्व वाली इकाईयो/संस्था, पात्र हो सकते है।
6. **बोली दस्तावेजों में सम्मिलित :-** बोली दस्तावेजों में, निविदा शर्ते, तकनिकी बिड, बोली आमंत्रण सूचना, योग्यता मापदण्ड, एवं जारी किया गया कोई भी संशोधन इत्यादि, समस्त सम्मिलित होंगे।
7. **बोली दस्तावेजों का विक्रय :-** बोली दस्तावेजों का विक्रय, बोली आमंत्रण सूचना के प्रकाशन की दिनांक से प्रारम्भ होकर, बिड प्राप्त करने के दिन तक, www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा। बोलीदाता द्वारा www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल से डाउनलोड करने पर बिड डोक्यूमेन्ट फीस का भुगतान डी.डी. द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसे ई-प्रोक्यूरमेन्ट पर भी तकनिकी बिड के साथ अपलोड करना होगा।
- i. बोली दाता द्वारा बोली दस्तावेज www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल से सही ढंग से डाउनलोड नही कर पाने पर उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

- ii. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वह बिड दस्तावेजों के निर्देशो, फार्म, शर्तों, को भली भाँति रूप से पढ़ ले/समझ ले, उपापन संस्था द्वारा निविदा के साथ चाही गई सूचनाएँ, आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा निरस्त की जा सकेगी।
8. **बोली दस्तावेजों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण** :- बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि उपापन संस्था द्वारा माल या सेवाओं की खरीद हेतु जारी किये गये बोली दस्तावेजों की शर्तों, बी.एस. आर. दरों को भलिभाँति पढ़ ले/समझ ले, बोलीदाता को किसी भी शर्त, सम्बन्ध में किसी प्रकार का शक (Doubt) हो तो, बोली प्रस्तुत करने से पहले उपापन संस्था से लिखित में क्लिरीफिकेशन मांग सकेगा। ऐसा क्लिरीफिकेशन निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक से कम से कम 2 दिवस पूर्व प्रस्तुत किया जा सकेगा। उपापन संस्था द्वारा ऐसा क्लिरीफिकेशन प्राप्त होने पर 2 दिवस में बोलीदाता को स्पष्टीकरण जारी करेगा, उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये स्पष्टीकरण की प्रति समस्त वीडर को फोरवर्ड की जावेगी तथा www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा। उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये स्पष्टीकरण का बोली दस्तावेजों में भी आवश्यक रूप से संशोधन किया जाएगा।
9. बोलीदाता द्वारा तकनिकी एवं वित्तीय बिड बोली दस्तावेजों में उपलब्ध निर्धारित फार्म में ही प्रस्तुत की जावें। तकनिकी बिड के सम्पूर्ण कॉलम को आवश्यक रूप से भरा जावें। बिड फार्म में कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
10. **बोली दस्तावेजों में संशोधन:-**
- (i) यदि आवश्यक हो तो, क्रेता अधिकारी बिड प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक एवं समय से पूर्व किसी भी समय स्वयं (SUO Moto) बोली दस्तावेजों में संशोधन कर सकेगा, जारी किया गया संशोधन बिड दस्तावेज का हिस्सा/पार्ट होगा।
- (ii) उपापन संस्था द्वारा जारी किया गया कोई भी संशोधन बोली दस्तावेजों का हिस्सा होगा, उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये संशोधन को www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा, जिसे बोलीदाताओं द्वारा डाउनलोड किया जा सकेगा।
11. **बिड की लागत:-**बोली तैयार करने हेतु सभी लागत बोलीदाता द्वारा वहन की जावेगी, उपापन संस्था ऐसी लागत के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
12. **बिड के साथ प्रस्तुत करने वाले आवश्यक दस्तावेज:-** बोली दो लिफाफे में (तकनिकी बोली और वित्तीय बोली) प्रस्तुत की जावेगी।
- तकनिकी बोली में निम्नलिखित शामिल होगा:-**
- (i) पूर्ण भर हुआ बिड फार्म।
- (ii) सम्पूर्ण बोली दस्तावेज हस्ताक्षर किया हुआ।
- (iii) बिड फीस एवं प्रोसेसिंग फीस के भुगतान स्वरूप डिमाण्ड-ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
- (iv) GST, PAN की छायाप्रति, पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी।

13. बिड प्राईज और डिस्काउण्ट:-

- i. प्रत्येक बोलीदाता द्वारा प्राईज बिड बोली दस्तावेजो के साथ संलग्न एक्सल फॉर्मेट, (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी। बिडर द्वारा BOQ को मोडीफाई/रिप्लेस नहीं किया जावे, केवल रिलेवेन्ट कॉलमों में ही दरे भरी जावे। बोलीदाता द्वारा इसमें किसी प्रकार की गलती किये जाने पर यदि निविदा निरस्त होती है तो इसके लिए बिडर स्वयं जिम्मेदार होगा।
- ii. यदि बोलीदाता द्वारा BOQ में बेसिक प्राईज कॉलम भरा नहीं जाता है तो बिड रिजक्ट की जा सकेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बिडर की होगी।

iii. तकनीकी निविदा में वित्तीय दरें प्रस्तुत करने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

- iv. बिड में प्रस्तुत दर समस्त करो सहित प्रस्तुत की जावे। GST, यदि लागू हो, अलग से दिया जावे। अनुबन्ध अवधि 17 माह होगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। जीएसटी अलग से देय होने पर राज्य सरकार/ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों अनुसार देय होगी।

14. बोलियों को हस्ताक्षरित किया जाना :- बोली दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत व्यक्ति द्वारा बोली दस्तावेजो के प्रत्येक पृष्ठ पर, समस्त निबन्धों एवं शर्तों की सहमति के परिणामस्वरूप, हस्ताक्षर करेगा। बिना हस्ताक्षर किये प्रस्तुत की गई निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

15. स्वीकृत निविदा की अवधि :- निविदा में स्वीकृत की गई दरें 17 माह तक वैध होगी। आवश्यकता होने पर अनुबन्ध की अवधि RTTP नियमों के प्रावधान अनुसार बढ़ायी जा सकेगी।

16. बोलियों की वैधता अवधि :- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक से न्यूनतम 90 दिवस के लिए विधिमान्य होगा। 90 दिवस से कम समय के लिए प्रस्तुत की गई बिड निरस्त कर दी जावेगी। आवश्यकता होने पर उपापन संस्था द्वारा निवेदन करने पर बिड की वैधता अवधि 90 दिवस से अधिक बिडर की सहमति से बढ़ायी जा सकेगी।

17. बोली प्रस्तुत करना एवं बोली खोलना :-

- (i) बोलीदाताओं द्वारा बोली राज्य प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल <https://eproc.rajasthan.gov.in> के माध्यम से प्रस्तुत की जावेगी।

- (ii) बोलदाताओं को सलाह दी जाती है कि ई-प्राक्यूरमेन्ट द्वारा बिड प्रस्तुत करने की स्थिति में बोलीदाता बिड प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अन्तिम समय से पूर्व ही ई-पोर्टल पर अपनी बिड अपलोड करें। अन्तिम समय में किसी कारण से बिड अपलोड नहीं कर पाने के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

- (iii) बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली पृथक-पृथक प्रस्तुत की जावेगी।

18. बोलियों का प्रत्याहरण (Withdrawal) :- किसी भी बोली का प्रत्याहरण (Withdrawal) प्रति स्थापना या उपापन बोलियों के प्राप्ति के लिए नियत अन्तिम दिनांक और समय के पश्चात् नहीं किया जा सकेगा।

19. बिड खोलना (Bid Opening):-

- (i) निर्धारित समय तक प्राप्त बोलियों को बोलीदाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में गठित उपापन समिति द्वारा बिड ओपन करने हेतु निर्धारित दिनांक एवं समय पर केवल

तकनिकी बिड खोली जावेगी। उपस्थित निविदादाताओं की एक सूची तैयार कर उस पर उनके हस्ताक्षर कराये जायेंगे।

(ii) तकनिकी बिड में सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी। उपापन संस्था द्वारा तकनिकी बिड में सफल बोलीदाताओं को वित्तीय बिड खोलने हेतु लिखित में सूचित किया जायेगा।

20. किसी भी बोली या निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार :- निविदा स्वीकृत करने से पूर्व किसी भी समय किसी भी बोली या सभी बोलियों को अथवा सम्पूर्ण बोली प्रक्रिया को अस्वीकार करने/निरस्त करने का उपापन संस्था को सम्पूर्ण अधिकार होगा।

21. सफल बोली और निविदा स्वीकृति :-

(i) मूल्यांकन समिति की अभिशंषा/निविदा की शर्तों, आदि के आधार पर उपापन संस्था बोली स्वीकार/अस्वीकार करेगा।

(ii) उपापन संस्था बोली स्वीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि सफल बोली की कीमत उचित और आवश्यक गुणवत्ता के अनुरूप है।

(iii) बोली तभी सफल मानी जावेगी जब सक्षम अधिकारी द्वारा खरीद के लिए मंजूरी दे दी गई है।

(iv) उपापन संस्था, सफल बोलीदाता को लिखित में, बोली की वैधता अवधि की समाप्ति से पूर्व, सूचना देगा कि उसकी बोली को स्वीकार कर लिया गया है।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम :

पूरा पता :

अनुभाग-2

नियम व शर्तें

1. यह अनुबंध 17 माह के लिये मान्य होगा ।
2. **अनुबंध (Agreement) निष्पादित करना :-** उपापन सस्था एवं सफल बोलीदाता के बीच एक अनुबंध पत्र (एग्रीमेन्ट) निष्पादित किया जावेगा, बोली दस्तावेज में उल्लेखित शर्तें, बोली आमंत्रण सूचना, बिड प्रोफार्मा, बोली दस्तावेजों में सशोधन, यदि कोई हो, अनुबंध पत्र का हिस्सा/भाग होंगे।
3. **नोटिस :-** एक पार्टी द्वारा दुसरो पार्टी को किसी भी प्रकार का नोटिस लिखित में दिया जावेगा, नोटिस डिलीवर्ड होने की दिनांक से या नोटिस में प्रभावी होने की दिनांक अंकित होने पर, जो भी बाद में हो, प्रभावी माना जावेगा।
4. भवन में उपयोग होने वाले विद्युत एवं पानी आदि के व्यय का वास्तविक खर्च के आधार पर पृथक से भुगतान किया जावेगा।
5. उपयुक्त भवन का चयन निगम की गठित कमेटी द्वारा किया जावेगा।
6. गठित कमेटी भवन का साईट वेल्थूवेशन कर तकनिकी रूप से उपयुक्त भवनों को निर्णारित करेगी।
7. कमेटी द्वारा उपयुक्त पाये गये भवनों की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
8. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी ।
9. न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

मैंने/हमने उपरोक्त निविदा की सभी शर्तों का पूर्ण अध्ययन कर लिया है तथा मुझे/हमें उपरोक्त सभी शर्तें स्वीकार हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम :

पूरा पता :

414

अनुभाग-3

निविदा-प्रपत्र

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

राजथान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन.लि.

जयपुर।

विषय:- गेस्ट हाऊस किराये पर देने हेतु निविदा।

महोदय,

1. यदि आवेदनकर्ता एकाकी स्वामी है तो स्वामी का नाम (पिता के नाम सहित).
2. यदि आवेदनकर्ता अविभक्त हिन्दु परिवार है तो परिवार के कर्ता का नाम
3. निविदा दाता का नाम
4. पूर्ण पता
5. टेलीफोन नम्बर निवास.....मोबाइल न0.....
6. निविदा शुल्क ड्राफ्ट संख्या दिनांक राशि
बैंक का नाम.....
7. ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क ड्राफ्ट संख्या दिनांक राशि
बैंक का नाम.....
8. प्लॉट का क्षेत्रफल :- वर्गफुट
9. निर्मित क्षेत्रफल :- वर्गफुट
10. शयन कक्षों की संख्या :-
11. स्वामित्व के दस्तावेज :-
12. GST रजिस्ट्रेशन नम्बर
13. पेन नम्बर

मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गयी नियम व शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है और मैं निविदा की सभी नियम व शर्तों से सहमत हूँ ।

निविदादाता के हस्ताक्षर